जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को आयोजित होगी बिजली चौपाल

सहायक अभियन्ता कार्यालय पर होगा बिजली चौपाल का आयोजन

जयपुर, 13 जनवरी। ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली से सम्बन्धित समस्याओं/शिकायतों के त्वरिक व मौके पर ही समाधान के लिए प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली बिजली चौपाल अब प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा आज जारी किए गए आदेश के अनुसार चौपालों का आयोजन इस माह के चतुर्थ शनिवार 23 जनवरी, 2016 से प्रारम्भ किया जाएगा।

ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री संजय मल्होत्रा ने बताया कि अब तक प्रत्येक मंगलवार को उपखण्ड के एक 33/11 केवी. सब–स्टेशन पर आयोजित हो रही बिजली चौपालों में उपभोक्ताओं से हुई बातचीत में प्राप्त सुझावों पर विस्तृत विचार–विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि बिजली चौपाल का आयोजन मंगलवार के स्थान पर प्रत्येक माह के दूसरे एवं चतुर्थ शनिवार को किया जावे एवं 33/11 केवी. सब–स्टेशन के स्थान पर सहायक अभियन्ता कार्यालय पर किया जाये। चौपाल आयोजन का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर बाद 3.00 बजे तक रहेगा।

उन्होंने बताया कि राजकीय अवकाश के दिन भी बिजली चौपाल का आयोजन किया जाएगा तथा राष्ट्रीय पर्व होने की स्थिति में आगामी शनिवार को चौपाल आयोजित की जाएगी। इसकी सूचना अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों/उच्चाधिकारियों को समय से पूर्व दी जाएगी। इसके साथ ही डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (तकनीकी), संभागीय मुख्य अभियन्ता अलग–अलग जिलों में, अधीक्षण अभियन्ता (पवस) खण्ड वार एवं अधिशाषी अभियन्ता उपखण्ड वार रोटेशन से कम से कम एक सहायक अभियन्ता कार्यालय पर आयोजित होने वाली बिजली चौपाल का औचक निरीक्षण करेंगे एवं चौपाल में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण हेतु लम्बित प्रकरणों पर कार्यवाही करावेंगे।

श्री मल्होत्रा ने बताया कि प्रत्येक चौपाल में सहायक अभियन्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि चौपाल के दिन प्राप्त शिकायत का समाधान/निस्तारण उसी दिन हो एवं जिन शिकायतों का समाधान करना सम्भव नही हो तो एसी शिकायतों की प्रकृति के अनुसार उनका निस्तारण अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अवश्य कर दिया जाये तथा एसी शिकायतों के बारे में कारण सहित जानकारी उपभोक्ता को दी जाये। उन्होंने बताया कि बिजली चौपाल के आयोजन के बाद प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (तकनीकी), संभागीय मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता (पवस) एवं अधिशाषी अभियन्ता आस–पास के क्षेत्रों में दौरा कर ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं से बिजली आपूर्ति के बारे में, उपभोक्ता शिकायतों के निवारण की स्थिति के बारे में फीडबैक प्राप्त करेंगे तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं तथा समय–समय पर दिए गए निर्देशों की पालना की स्थिति के बारे में हुई प्रगति का निरीक्षण भी किया जाएगा।

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 352/2016